(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 01/2022

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2022/05

बउनवान

राधेश्याम पुत्र सत्यनारायण सिंह जाति राव राजपूत निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल जाति नायक निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारॉ
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू जिला बारॉ

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू आवंटन नियम, 1970

उपस्थित :– 1– श्री ओम प्रकाश मेहता अभिभाषक		(प्रार्थी)
	2– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक	(अप्रार्थी क्रम 1)
	3– पेरोकार सरकार	(अप्रार्थी क्रम 2)

निर्णय दिनांक 29.09.2023

प्रार्थी द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा केम्प कवाई मे आवंटी श्री रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल जाति नायक निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारॉ को आवंटन आदेश दिनांक 21.10.1997 से ग्राम कवाई तहसील अटरू के खसरा नम्बर 208/0.17, 308/0.34, कुल 0.51 हेक्टयर भूमि आवंटित की गई। जिससे से अप्रसन्न होकर आवंटन आदेश निरस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी के इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 01.02.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपखण्ड अधिकारी छबडा से मूल आवंटन आदेश तलब किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी क्रम 2 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण मे उपखण्ड अधिकारी छबडा से मूल आवंटन आदेश प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई ।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कहा गया कि ग्राम कवाई तहसील अटरू की आराजी खसरा नम्बर 208 रकबा 0.17 हेक्टयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.34 हेक्टयर कुल 2 किता रकबा 0.51 हेक्टयर दिनांक 21.10.1997 को अप्रार्थी क्रम 1 रामस्वरूप को आवंटन किया गया है। किन्तु न तो अप्रार्थी क्रम 1 को आज तक दखल दिया गया न आज दिनांक तक उसका कब्जा है इस प्रकार आवंटन नियम 1970 के अनुसार 1/2 हिस्से पर प्रथम वर्ष व सम्पूर्ण आवंटन पर 2 वर्ष मे कब्जा लिया जाना आवश्यक है अन्यथा भू आवंटन 1970 के तहत कब्जा नही होने के कारण आवंटन स्वतः ही निरस्तनीय है इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन दिनांक 21.10.1997 के आज दिन तक कब्जा काश्त नही करने से आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि आवंटन शुदा आराजी के लगवां ही प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात है उसमे ही उक्त आवंटन शुदा आराजी [illegible] नम्बर 380 रकबा 0.34 हेक्टयर मिला हुआ है जिस पर प्रार्थी का व उसके पूर्वजो का लगभग [illegible] 60-70 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी पुष्टि तहसीलदार अटरू द्वारा चाही गई मौका रिपोर्ट मे हल्का पटवारी कवाई द्वारा दिनांक 15.12.2021 को प्रस्तुत रिपोर्ट मे भी खसरा नम्बर 348 रकबा 0.23 हेक्टयर, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.24 हेक्टयर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.34 हेक्टयर पर प्रार्थी का जायज अर्सा 30 वर्षो के अधिक समय से कब्जा काश्त होना दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:28:58 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार आवंटित आराजी खसरा नम्बर 308 रकबा 0.34 हेक्टयर पर आवंटन के पूर्व से ही प्रार्थी व उसके पूर्व उसके पूर्वजो का निरन्तर आज तक कब्जा काश्त है। प्रकरण मे भू आवंटन नियम 1970 की शर्तो की पालना वर्ष 1997 से आज तक नही हुई है। मेरे खाते की भूमि से मिली हुई भूपट्टी के रूप मे भूमि है इसलिये मुझे आवंटन होना चाहिये। आवंटन के समय मौका

स्थिति नही देखी गई। इसलिये अप्रार्थी क्रम 1 को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 21.10.1997 काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी रामस्वरूप द्वारा न्यायालय तहसीलदार अटरू के प्रार्थी राधेश्याम वगै. के विरूद्व 183 (बी) आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.03.2022 को प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है।

यह कि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा कब्जा किये जाने पर धमकी दिये जाने के कारण उक्त आवंटन की जानकारी दिनांक 12.12.2021 को होने पर एवं हल्का पटवारी कवाई द्वारा दिनांक 15.12.2021 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर व भू आवंटन की नकल प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है मियाद के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। गैरखातेदारी से खातेदारी हेतु भूमि पर पजेशन लिया जाना जरूरी है न तो आवंटन के समय ओर न ही खातेदारी अधिकार देते समय पजेशन देखा गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू आवंटन नियम, 1970 पर कोई लिमिटेशन लागू नही होता है। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी.–2010 Vol IA 19-4 Rulas होना अवगत करवाया गया। उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा केम्प कवाई मे किया गया आवंटन आदेश दिनांक 21.10.1997 निरस्त किया जाकर प्रार्थी को पुराने कब्जे के आधार पर नियमन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा केम्प कवाई मे आवंटी श्री रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल जाति नायक निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारॉ को आवंटन आदेश दिनांक 21.10.1997 से ग्राम कवाई तहसील अटरू के खसरा नम्बर 208/0.17, 308/0.34, कुल 0.51 हेक्टयर भूमि आवंटित की गई। जिसको निरस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा 01.02.2022 को प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। आवंटी को आवंटन आदेश की शर्तो की पालना किये जाने के उपरांत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 पत्रावली मे संलग्न है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14 (4) भू आवंटन नियम, 1970 आवंटन आदेश निरस्त किये जाने का अधिकार नही है। अप्रार्थी को आवंटन नियमानुसार ही हुआ है। अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे.–2019 पेज 77 की छायाप्रति प्रस्तुत की जाकर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा केम्प कवाई मे आवंटन आदेश दिनांक 21.10.1997 से अप्रार्थी को भूमि आवंटित की गई। जिसको निरस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि आवंटित आराजी पर आवंटन के पूर्व से ही प्रार्थी व उसके पूर्व उसके पूर्वजो का निरन्तर आज तक कब्जा काश्त है। प्रकरण मे भू आवंटन नियम 1970 की शर्तो की पालना वर्ष 1997 से आज तक नही हुई है। मेरे खाते की भूमि से मिली हुई भूपट्टी के रूप मे भूमि है इसलिये मुझे आवंटन होना चाहिये। अप्रार्थी का कथन है कि है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14 (4) भू आवंटन नियम, 1970 मे आवंटन आदेश निरस्त किये जाने का अधिकार नही है। अप्रार्थी जाति से नायक है जिसको आवंटन हुआ है। अप्रार्थी के अभिभाषक के कथनो से सहमत है। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी.–2010 Vol IA 19-4 Rulas होना अवगत करवाया गया। किन्तु इस न्यायालय मे प्रस्तुत नही किये गये। प्रकरण मे यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू आवंटन नियम, 1970 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:28:58 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ